

**प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश  
रोजगार भवन, गुरुगोविंद सिंह मार्ग, लखनऊ।  
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केवल विकलांगजनों हेतु अनुदेशक भर्ती**

विज्ञापन संख्या—अनु०प्रशिक्षण / 1 / 2014

दिनांक: 20 फरवरी, 2014

(उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर समूह “ग” के अनुदेशक के पदों पर भर्ती के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विकलांगजन के चिन्हित रिक्त पदों के बैकलाग को पूरा किया जाना।)

शासनादेश संख्या—845 / 65—3—10—04(रिट) / 2009 दिनांक 03 दिसम्बर 2010, विकलांग कल्याण अनुभाग—3 के पत्रांक:897 / 65—3—10—04(रिट) / 2010 दिनांक 31 दिसम्बर, 2010, कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या: 18 / 1 / 2008— का— 2—2008 दिनांक 03—02—2008 एवं शासन के अशासकीय पत्र संख्या—574 / 89—व्या०शि०एवं कौ०वि०वि० —2014—8(205) / 2012, दिनांक 05 फरवरी, 2014 के अनुपालन में अनुदेशक (विकलांग) के रिक्त पदों पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बैकलाग कोटा पूर्ण किये जाने हेतु भारत के नागरिकों से आवेदन पत्र दिनांक 25—3—2014 तक आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्तियों, विकलांगता एवं वेतनमान का विवरण निम्नवत् है:—

क्रम सं०	रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान	दृष्टिबाधित या कम दृष्टि(बी० / पी०बी०)	चलनक्रिया (मात्र ओ०ए० / ओ०एल०)
1	2	3	4	5
1.	10	9300—34800 ग्रेड पे—4200 /—	10	—

कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—18 / 1 / 08 / का—2 / 2013, दिनांक 24 जून, 2013 में दिये गये निम्न प्राविधान के अनुसार यदि कालम संख्या—4 के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो कालम संख्या—5 के अभ्यर्थियों से कालम संख्या—2 में उल्लिखित रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी:—

“यदि कोई पद विकलांगजन की तीनों श्रेणियों के लिये चिन्हित है और उक्त पद हेतु किसी एक श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो उसे अन्य दो श्रेणियों के अभ्यर्थियों में से किसी से भी भरा जा सकता है। इसी प्रकार यदि दो श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसे तीसरी श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है। उपर्युक्तानुसार कार्यवाही के पश्चात भी, यदि विकलांगजन के लिये आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्त उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरे रह जाती है, तो उसे आगामी दो चयन वर्षों के लिये अग्रनीत किया जायेगा, उसके पश्चात वह रिक्त व्यपगत (lapse) समझी जायेगी।”

**शैक्षिक अर्हता—** माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।

**तकनीकी/अधिमानी अर्हता का विवरण निम्नवत् है:-**

क्रम सं0	व्यवसाय का नाम	न्यूनतम तकनीकी योग्यता	सुसंगत व्यवसाय में प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिये अधिमानी अर्हता
1	2	3	4
1.	फिटर	सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र अथवा प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि।	संबंधित व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना में एक वर्षीय प्रमाण पत्र और एन०आई०ई०एल०आई०टी० (पूर्ववर्ती डोयेक सोसाइटी आफ इण्डिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण पत्र।
2.	टर्नर		
3.	मशीनिष्ट		
4.	वेल्डर (गैस एण्ड इलेक्ट्रिक)		
5.	शीटमेटल वर्कर		
6	प्लम्बर	सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र अथवा प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० से सिविल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि।	शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन ट्रेनिंग मैथोडालोजी/प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग माड्यूल का प्रमाण पत्र और एन०आई० ई०एल०आई०टी० (पूर्ववर्ती डोयेक सोसाइटी आफ इण्डिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण पत्र।
7	ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल)	सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र अथवा प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० से डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि।	व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन एक वर्षीय प्रमाण पत्र और एन०आई०ई० एल० आई०टी०(पूर्ववर्ती डोयेक सोसाइटी आफ इण्डिया)या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी०सी०सी०) में प्रमाण पत्र।



		इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि।	किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी0सी0सी0) में प्रमाण पत्र।
.14 15	इलेक्ट्रीशियन वायरमैन	सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र अथवा प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 से इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि।	सुसंगत व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन एक वर्षीय प्रमाण पत्र और एन0आई0 ई0एल0 आई0टी0 (पूर्ववर्ती डोयेक सोसाइटी आफ इण्डिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी0सी0सी0) में प्रमाण पत्र।
16 17	इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक मैकेनिक (रेडियो एवं टेलीविजन)	सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र अथवा प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 से इलेक्ट्रानिक्स / इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक्स / इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में उपाधि।	संबंधित व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना में एक वर्षीय प्रमाण पत्र और एन0आई0 ई0एल0 आई0टी0 (पूर्ववर्ती डोयेक सोसाइटी आफ इण्डिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी0सी0सी0) में प्रमाण पत्र।
18	इन्स्ट्रूमेन्ट मैकेनिक	सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र अथवा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इन्स्ट्रूमेन्टेशन/इन्स्ट्रूमेन्टेशन एण्ड कन्ट्रोल /इलेक्ट्रानिक्स इन्स्ट्रूमेन्टेशन /प्रासेस कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमेन्टेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से इन्स्ट्रूमेन्टेशन/इन्स्ट्रूमेन्टेशन एण्डकन्ट्रोल /इलेक्ट्रानिक्स इन्स्ट्रूमेन्टेशन/प्रासेस कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमेन्टेशन इंजीनियरिंग में उपाधि।	सुसंगत व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन एक वर्षीय प्रमाणपत्र और एन0आई0 ई0एल0 आई0टी0 (पूर्ववर्ती डोयेक सोसाइटी आफ इण्डिया) या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी0सी0सी0) में प्रमाण पत्र।
19	कम्प्यूटर एण्ड आपरेटर प्रोग्रामिंग	सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र या सुसंगत व्यवसाय में	सुसंगत व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन एक वर्षीय



24	कटिंग एण्ड स्विंग	सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र अथवा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंस मेकिंग/फैशन डिजाइनिंग एण्ड गारमेन्ट्स टेक्नालाजी/फैशन टेक्नालाजी में डिप्लोमा या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से फैशन टेक्नालाजी में उपाधि।	सुसंगत व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन एक वर्षीय प्रमाण पत्र और एन0आई0ई0 एल0आई0 टी0 (पूर्ववर्ती डोयेक सोसाइटी ऑफ इण्डिया) या किसी अन्य, समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी0सी0सी0) में प्रमाण पत्र।
26	हिन्दी भाषा	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य के साथ स्नातक उपाधि।	शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन ट्रेनिंग मैथेडोलाजी/ प्रिंसपल्स ऑफ टीचिंग माड्यूल का प्रमाण पत्र और एन0आई0ई0एल0आई0टी0 (पूर्ववर्ती डोयेक सोसाइटी ऑफ इण्डिया) या किसी अन्य, समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी0सी0सी0) में प्रमाण पत्र।

**टिप्पणी:** कोई अभ्यर्थी जिसने, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (सी0ओ0ई0) योजना के अधीन चलाये जा रहे मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रमों/सेक्टरों में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र (नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट) (एन0टी0सी0) प्राप्त किया हो, उस व्यवसाय में अनुदेशक के पद के लिये आवेदन करने के लिये पात्र होगा जिसमें उसने एडवांस माड्यूल के लिये प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

#### कम संख्या 1 से 26 तक के पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता एवं अनुभवः—

1. सेवा में अनुदेशक पद पर भर्ती के लिए व्यवसाय/विषयों की तकनीकी योग्यता कालम—3 में उल्लिखित है।
2. अधिमानी अर्हता के संबंध में सुसंगत व्यवसायों/विषयों में प्रशिक्षण/शिक्षण उपलब्ध कराने के लिये तालिका के कालम संख्या—4 में यथाविहित उल्लेख किया गया है परन्तु यह कि जो अभ्यर्थी तालिका के कालम—4 में व्यवसायों/विषयों के लिए अधिमानी अर्हता नहीं रखते हैं तो वे भी चयन के लिए पात्र माने जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थी यदि चयन किये जाते हैं तो उनसे अपेक्षा की जायेगी कि उन्हें तालिका के कालम—4 में निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के अवधि के भीतर अपने व्यय पर पूर्ण करना होगा और उन्हें उक्त अवधि के लिये अवकाश प्रदान किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण से परे कारणों से उसे पूरा करने में असमर्थ हो तो उसे उक्त पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए एक वर्ष और अनुमन्य किया जायेगा।

यदि कोई व्यक्ति ऊपर उल्लिखित रूप से विहित अवधि के भीतर तालिका के कालम—4 में निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है तो उसे उसकी प्रथम वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

#### अनुभव—

सेवा में अनुदेशक के पद पर भर्ती के लिये, किसी अभ्यर्थी जिसकी प्राविधिक अर्हता राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है, के पास किसी उद्योग में काम करने का या

किसी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। किसी उद्योग में काम करने या किसी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में अनुभव की न्यूनतम अवधि डिप्लोमा धारकों के लिये दो वर्ष की होगी और डिग्री (उपाधि) धारकों के लिए अनुभव एक वर्ष ही होगी।

### आयु सीमा—

दिनांक 01.7.2013 को आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। विकलांग हेतु अधिकतम आयु सीमा में आवेदकों को शासनादेश संख्या—18/1/2008/का—2—2008, दिनांक 03 फरवरी, 2008 के अनुसार 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् 01.07.2013 को 55 वर्ष तक की आयु अनुमन्य होगी।

### आवश्यक दिशा—निर्देश—

1. पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।
2. उक्त वर्णित अर्हताओं से भिन्न अर्हता रखने वाले आवेदक के अर्भ्यथन पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. इस पद के लिये सभी श्रेणी (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) के आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
4. भारत का नागरिक हो।
5. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:
  - (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।
  - (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर की 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
6. आवेदन पत्र के साथ कोई शुल्क देय नहीं है।
7. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करें:-
  - (क) नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्वहस्ताक्षरित फोटो आवेदन पत्र के साथ चिपकाया जाये।
  - (ख) आवेदक को अपने पत्र व्यवहार का स्पष्ट पता लिखा 10x25 सेमी0 आकार के दो लिफाफे, जिन पर 5 रूपये का डाक टिकट लगा हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
  - (ग) आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका (मार्कशीट), जाति प्रमाण—पत्र, आयु प्रमाण—पत्र, विकलांगता प्रमाण—पत्र व अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण—पत्रों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर छायाप्रतियों संलग्न करना आवश्यक है।
  - (घ) आवेदक को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग—2 शासनादेश सं0—18/1/2008—का—2—2008, दिनांक 03—2—2008 के नियम—8 के प्राविधानों के अन्तर्गत वे आवेदक जो विज्ञापन में दी जा रही श्रेणी की विकलांगता से ग्रस्त हों, से संबंधित विकलांगता प्रमाण—पत्र जो सक्षम चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदान किया गया हो, ही पात्र होंगे।
8. आवेदन पत्र भेजते समय लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद का नाम, विकलांगता की श्रेणी तथा "प्रशिक्षण प्रखण्ड हेतु" अवश्य अंकित किया जाए।
9. आवेदक को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने पर उन्हें कोई मार्ग व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।
10. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त न होने पर, अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने, आवेदन पत्र के अन्त में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर न होने एवं निर्धारित तिथि/समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा और इसके संबंध में आवेदक को कोई अलग से सूचना नहीं दी जायेगी।
11. साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण—पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

12. जो आवेदक केन्द्र अथवा राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत है उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
13. आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में— ऐसे पुरुष आवेदक जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला आवेदक जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो, चयन/नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
14. आवेदक के अर्ह एवं अनर्ह होने एवं साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
15. निरस्त आवेदन पत्रों के संबंध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन ग्राह्य न होगा।
16. विभागाध्यक्ष को पूरी चयन प्रक्रिया या किसी रिक्ति को बिना कोई कारण बताये स्थगित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
17. निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम है तथा इन योग्यताओं के होने मात्र से साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के लिए आवेदक हकदार नहीं हो सकेगा।
18. साक्षात्कार हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र के साथ संलग्न लिफाफे में डाक द्वारा साक्षात्कार पत्र प्रेषित किया जायेगा।
19. डाक विभाग द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि के कारण साक्षात्कार पत्र न प्राप्त होने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने पर इस निदेशालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
20. साक्षात्कार होने के पश्चात भी साक्षात्कार/चयन प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार/अन्तिम निर्णय भी नियोक्ता का होगा।

उपरोक्त पदों के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ0प्र0, रोजगार भवन, गुरुगोविन्द सिंह मार्ग, बांसमण्डी चौराहा, चारबाग—लखनऊ के पते पर अन्तिम तिथि 25.03.2014 सायं 5.00 बजे तक प्राप्त हो जाये। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। रजिस्टर्ड/स्पीड-पोस्ट के माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अधूरे अथवा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त सूचना निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन की अधिकारिक वेबसाइट ([www.vppup.in](http://www.vppup.in)) पर उपलब्ध है जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

**नोट—लिफाफा** जिसमें आवेदन पत्र रखा जाये उस पर व्यवसाय का नाम अवश्य अंकित करें।

**निदेशक**  
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ।  
(नियुक्ति प्राधिकारी)

**आवेदन पत्र का प्रारूप (प्रशिक्षण प्रखण्ड)**  
**केवल विकलांगजनों हेतु**

विभाग का नाम— प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

विज्ञापन संख्या— अनु0 प्रशिक्षण / 1 / 2014

आवेदित अनुदेशक पद हेतु व्यवसाय/विषय	आवेदक की आरक्षित श्रेणी यदि कोई है	राज्य का नाम जिसका आवेदक मूल निवासी है।	जनपद का नाम	अनुक्रमांक (विभाग द्वारा भरा जायेगा)

- 1— आवेदक का पूरा नाम  
 (अ) हिन्दी में(देवनागरी लिपि में).....  
 (ब) अंग्रेजी में(कैपिटल अक्षरों में).....
- 2— पिता/पति का नाम..... 3—राष्ट्रीयता.....
- 4— जन्मतिथि— ( जैसा हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा में उल्लिखित है। )  
 5— (अ) पत्र व्यवहार का पता .....  
 (ब) स्थायी पता .....
- 6— उ0प्र0 के सेवायोजन कार्यालय का नाम..... पंजीयन संख्या व दिनांक.....  
 (यदि आवेदक का पंजीयन है)
- 7— (क) आरक्षित श्रेणी के आवेदक अपने से संबंधित दाहिनी ओर दिये गये  
 कोड— 01, 02, 03 में जिससे वह संबंधित है, कोष्ठक में लिखें,  
 आरक्षित श्रेणी के आवेदक हैं—
- |  |
|--|
| कैमरे के अभिमुख<br>वक्ष तक की एक<br>नवीनतम फोटो<br>चिपकायें और तिथि<br>सहित अपने<br>हस्तसक्षर भी करें। |
|--|

आरक्षित श्रेणी  
 अनुसूचित जाति 01  
 अनुसूचित जनजाति 02  
 अन्य पिछड़ा वर्ग 03

हौं/नहीं

कोड सं0—

- (ख) यदि आप स्व0 सं0 सेनानी के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिक अथवा  
 शारीरिक रूप से विकलांग की श्रेणी में आते हैं तो दाहिनी ओर  
 कोड सं0 04, 05, 06 से सम्बन्धित कोड कोष्ठक में भरें। यदि  
 इनमें से आप सम्बन्धित नहीं हैं तो कास का निशान अंकित करें।
- |                           |
|---------------------------|
| स्व0 संग्राम सेनानी 04    |
| भूतपूर्व सैनिक 05         |
| शारीरिक रूप से विकलांग 06 |

कोड सं0

- (ग) यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग की श्रेणी में आते हैं तो  
 दाहिनी ओर दिए गए कोड सं0-07, 08, 09, 10 जो भी हों उसे  
 संबंधित कोष्ठक में भरें।
- |                  |
|------------------|
| बी0(अंधापन) 07   |
| पी0बी0 (आंशिक 08 |
| ओ0ए0(एक हाथ) 09  |
| ओ0एल0(एक पैर) 10 |

कोड सं0

8— (अ) शैक्षिक / प्राविधिक अर्हताओं का विवरण:—

(व्यवसाय अनुदेशक हेतु)

उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड/संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
01	02	03	04	05	06	07
1. हाईस्कूल या समकक्ष 2.(अ) सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण—पत्र या (ब) सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण—पत्र या (स) सुसंगत व्यवसाय /विषय में डिप्लोमा या डिग्री 3. (अ) सुसंगत व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अधीन प्रमाण—पत्र(एक वर्षीय) (सी0आई0 टी0एस0) या ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का प्रमाण पत्र या प्रिसिपल्स ऑफ टीचिंग माइड्यूल (पी0ओ0टी0) और (ब) कोर्स ऑन कम्प्यूटर कान्सेप्ट्स (सी0सी0सी0) में प्रमाण पत्र						

9— अनुभव: वर्ष.....माह.....दिन.....

(अनिवार्य अर्हता, तकनीकी योग्यता, अधिमानी योग्यता(यदि हो तो) का प्रमाण पत्र व अंकतालिकाओं, आरक्षित श्रेणी, आयु के प्रमाण—पत्र, सेवायोजन पंजीयन कार्ड (यदि हो तो), अनुभव, विकलांगता प्रमाण—पत्र की सत्यापित फोटो प्रतियाँ संलग्न करें)

10. घोषणा—पत्र

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि—

- मैंने विज्ञापित की गयी पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ी हैं। वे मुझे मान्य हैं एवं मैं उन्हे पूरा करता/करती हूँ।
- इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं। इस विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य मेरे द्वारा यदि छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अस्वर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त भी कोई प्रतिकूल स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जायें।
- मैंने अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रदान करने के लिए लिखित अनुरोध किया है कि इस चयन के लिए आवेदन पत्र भेज रहा/रही हूँ।

संलग्नकों का विवरण—

- अंकों एवं शब्दों में
- विवरण
- तिथि

आवेदक के हस्ताक्षर  
दिनांक सहित